



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 30/2025

दिनांक: 26.06.2025

अधीक्षक की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री राजेश बत्रा	02.06.1971	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, उदयपुर
2.	श्री शिव प्रकाश मीना	07.02.1987	सीजीएसटी, उदयपुर (कांकरोली)	सीपीसी, जयपुर (सीजीएसटी, उदयपुर से ऋण आधार पर)
3.	श्री मुकेश कुमार मामोडिया	25.09.1967	सीजीएसटी, अलवर	सीपीसी, जयपुर (सीजीएसटी, अलवर से ऋण आधार पर)

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., उदयपुर/ अलवर, जयपुर/ सीमा शुल्क, जयपुर।
2. उप/ सहायक आयुक्त, सीजीएसटी संभाग, कांकरोली/ सीमा शुल्क संभाग, श्रीगंगानगर।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. सम्बंधित अधिकारी।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।